कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना0), बाढ़ड़ा।

मिसलः– निपटान बारे आपत्ति पंचायत समिति बाढडा व जिला परिषद् चरखी दादरी वार्डबन्दी।

दायरा अवधिः– 27.04.2021 ता 29.04.2021 **आदेश तिथि 05.05.2021**

दरखास्तः– दफा नियम 4(6) हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम 1994 के अर्न्तगत आई पंचायत समिति बाढडा व जिला परिषद् चरखी दादरी की उपायुक्त, चरखी दादरी द्वारा नियम 4(5) के अर्न्तगत दिनांक 26.04.2021 को प्रारम्भिक प्रकाशित की गई वार्डबन्दी बारे दिनांक 27.04.2021 ता 29.04.2021 की अवधि में प्राप्त आपत्तियों के निपटान बारे।

उपस्थितिः– 1. अनिल(मो0 8053889171), धर्मेश, बलवान, प्रदीप, मनोज कुमार, विजय मोटू पूर्व सरपंच उमरवास वासीगण गांव उमरवास।

2. उमेद कुमार पुत्र श्री धर्मचन्द पूर्व सदस्य पंचायत समिति बाढडा गांव डूडीवाला किशनपुरा।

3. अजीत सिंह पूर्व सरपंच काकड़ोली हट्टी, मनफूल सिंह पूर्व सरपंच काकड़ोली हट्टी, जगदीश पूर्व सदस्य पंचायत समिति बाढ़ड़ा, पवन शर्मा, कपूर सिंह नम्बरदार, काकड़ोली हट्टी, मांगेराम, राय सिंह, जयसिंह पूर्व सरपंच काकड़ोली सरदारा।

4. बलवान सिंह आर्य सदस्य कष्ट निवारण समिति चरखी दादरी, नरसिंह पूर्व सरपंच भाण्डवा, रिछपाल सिंह प्रधान भाण्डवा, सत्यवीर सिंह पूर्व सरपंच भाण्डवा, बबीता पूर्व पंच भाण्डवा, मंजू पूर्व पंच भाण्डवा, जोगेन्द्र पूर्व सदस्य पंचायत समिति बाढ़ड़ा, रामपाल, चन्द्र सिंह पूर्व सरपंच भाण्डवा।

5. होशियार सिंह पूर्व सरपंच आर्यनगर, सन्त कुमार पूर्व सरपंच आर्यनगर, कविता, मीना, निर्मला देवी पंच आर्यनगर, केवल राम प्रधान आर्यनगर, सत्यपाल आर्य।

आदेशः–

1. इस विषय में तथ्य इस प्रकार से हैं कि राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा जारी आदेश क्रमांक 9913–33/पंचायत दिनांक 22.04.2021 के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं से आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ चरखी दादरी की पंचायती राज संस्थाओं की वार्डबन्दी वर्ष 2021 बारे उपायुक्त, चरखी दादरी को निर्देश प्राप्त हुये थे कि खण्ड बाढ़ड़ा, दादरी, झोझू व बौन्द की पंचायत समितियों की वार्डबन्दी का प्रारूप तथा नवगठित जिला परिषद् चरखी दादरी की वार्डबन्दी का प्रारूप तैयार करके दिनांक 24.04.2021 तक हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में भिजवायें तथा दिनांक 26.04.2021 को पंचायत समितियों तथा जिला परिषद् की वार्डबन्दी का प्रारम्भिक प्रकाशन करना सुनिश्चित करें। इस बारे हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 4 के तहत पंचायत समितियों तथा जिला परिषद् की वार्डबन्दियों बारे निम्न कार्यक्रम निर्धारित किया गया था:–

क्र0सं0	विवरण	दिनांक
1	वार्डों का प्रारम्भिक प्रकाशन, नियम 4(5)	26.04.2021 को
2	सम्बन्धित उप–मण्डल अधिकारी (ना0) द्वारा आपत्तियों का प्राप्त करना, नियम 4(6)	27.04.2021 से 29.04.2021 तक
3	सम्बन्धित उप–मण्डल अधिकारी (ना0) द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निपटान करना, नियम 4(7)	30.04.2021 से 05.05.2021 तक
4	सम्बन्धित उप–मण्डल अधिकारी (ना0) के निर्णय के विरूद्ध अपील सम्बन्धित अतिरिक्त उपायुक्त, नियम 4(8)	06.05.2021 से 08.05.2021 तक
5	अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा अपीलों का निर्णय करना, नियम 4(8)	10.05.2021 से 19.05.2021 तक
6	वार्डों का अन्तिम प्रकाशन, नियम 4(9)	20.05.2021 तक

उक्त कार्यक्रम अनुसार पंचायत समिति बाढ़ड़ा तथा जिला परिषद् चरखी दादरी के वार्डो का प्रारम्भिक प्रकाशन उपायुक्त, चरखी दादरी द्वारा दिनांक 26.04.2021 को किया गया। इस कार्यालय में दिनांक 27.04.2021 से 29.04.2021 तक पंचायत समिति बाढड़ा तथा जिला

	सत्यवीर सिंह पूर्व सरपंच भाण्डवा, बबीता पूर्व पंच भाण्डवा, मंजू पूर्व पंच भाण्डवा, जोगेन्द्र पूर्व सदस्य पंचायत समिति बाढड़ा, रामपाल, चन्द्र सिंह पूर्व सरपंच भाण्डवा।			करने बारे।
5 29.04.21	होशियार सिंह पूर्व सरपंच आर्यनगर, सन्त कुमार पूर्व सरपंच आर्यनगर, कविता, मीना, निर्मला देवी पंच आर्यनगर, केवल राम प्रधान आर्यनगर, सत्यपाल आर्य।		वार्ड नं0 8 बारे।	जिला परिषद के वार्ड नं0 8 से भाण्डवा व आर्यनगर को हटाकर वार्ड 7 में शामिल करने बारे।

2. उपरोक्त प्राप्त आपत्तियों के प्रारम्भिक परीक्षण उपरान्त सामने आया कि कुल 4 आपत्तियां ही प्राप्त हुई हैं। आपत्ति नं0 4 व 5 बिल्कुल समान है। अतः मूल आवेदनों की प्रतियां खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, बाढड़ा तथा तहसीलदार, बाढड़ा को भेजकर निर्देश दिये गये कि इस बारे इन आवेदनों बारे सुनवाई की तिथि 05.05.2021 तय की गई है। कोविड–19 महामारी के चलते आम हलचल पर पाबन्दी है। अतः जनसाधारण को सूचित करें कि इस कार्यालय की ई–मेल badhra.sdm@gmail.com or whatsup no. 9717920255 पर इन आवेदनों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को एतराज या सुझाव है तो दिनांक 05.05.2021 को प्रातः 10:00 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही इस बारे रपट/रोजनामचा में इसकी रपट दर्ज कर प्रति इस कार्यालय में उक्त समय से पहले पेश करें।

3. दिनांक 05.05.2021 तक ई–मेल तथा वाटसप के माध्यम से दिये गये ऐतराजो बारे भाण्डवा गांव के कुछ मतदाताओ ने सुझाव दिया कि भाण्डवा, आर्यनगर ग्राम पंचायत को जिला परिषद वार्ड नं0–7 में न रखकर वार्ड नं0–8 में ही रखा जाना उनके विकास के लिए उचित है। सुझाव देने वाले व्यक्तियो में ईश्वर, सोनू, रामकिशन, प्रमिला, सन्दीप, निरज कुमार,रविन्द्र कुमार, अंकित कुमार, राकेश कुमार, सतीस कुमार, जयभगवान, जयभगवान, अमित कुमार, सोनू, अनिल कुमार व राजकुमार शामिल है।

Sub Divisional Officer (Civil) Badhra

परिषद् चरखी दादरी की वार्डबन्दियों के विरूद्ध कुल 5 आपत्तियां प्राप्त हुई, जिनका विवरण निम्न है:-

आपत्ति सं0 व दिनांक	आवेदक का नाम व पता	पंचायत समिति बाढड़ा का वार्ड जिसके विरूद्ध आपत्ति प्राप्त हुई।	जिला परिषद् चरखी दादरी के वार्ड जिसके विरूद्ध आपत्ति प्राप्त हुई।	आपत्ति का विवरण
1 29.04.21	अनिल(मो0 8053889171), धर्मेश, बलवान, प्रदीप, मनोज कुमार, विजय मोटू पूर्व सरपंच उमरवास वासीगण गांव उमरवास		वार्ड नं0 6	गांव उमरवास, जीतपुरा को जिला परिषद् के वार्ड नं0 6 से हटाकर वार्ड नं0 7 में शामिल किया जाये।
2 29.04.21	उमेद कुमार पुत्र श्री धर्मचन्द पूर्व सदस्य पंचायत समिति बाढड़ा गांव डूडीवाला किशनपुरा	वार्ड नं0 7		पंचायत समिति वार्ड नं0 7 में गांव डूडीवाला किशनपुरा शामिल किये जाने बारे आपत्ति देकर बताया है कि यह गांव हमेशा से रामपुरा, डूडीवाला नन्दकरण व डूडीवाला किशनपुरा का ही रहा है।
3 29.04.21	अजीत सिंह पूर्व सरपंच काकडोली हट्टी, मनफूल सिंह पूर्व सरपंच काकडोली हट्टी, जगदीश पूर्व सदस्य पंचायत समिति बाढड़ा, पवन शर्मा, कपूर सिंह नम्बरदार, काकड़ोली हट्टी, मांगेराम, राय सिंह, जयसिंह पूर्व सरपंच काकडोली सरदारा।		वार्ड नं0 7 बारे	जिला परिषद् के वार्ड नं0 7 से काकड़ोली हट्टी व सरदारा को हटाकर वार्ड 6 में शामिल करने बारे।
4 29.04.21	बलवान सिंह आर्य सदस्य कष्ट निवारण समिति चरखी दादरी, नरसिंह पूर्व सरपंच भाण्डवा, रिछपाल सिंह प्रधान भाण्डवा,		वार्ड नं0 8 बारे।	जिला परिषद् के वार्ड नं0 8 से भाण्डवा व आर्यनगर को हटाकर वार्ड 7 में शामिल

Divisional Officer

	सत्यवीर सिंह पूर्व सरपंच भाण्डवा, बबीता पूर्व पंच भाण्डवा, मंजू पूर्व पंच भाण्डवा, जोगेन्द्र पूर्व सदस्य पंचायत समिति बाढ़ड़ा, रामपाल, चन्द्र सिंह पूर्व सरपंच भाण्डवा।			करने बारे।
5 29.04.21	होशियार सिंह पूर्व सरपंच आर्यनगर, सन्त कुमार पूर्व सरपंच आर्यनगर, कविता, मीना, निर्मला देवी पंच आर्यनगर, केवल राम प्रधान आर्यनगर, सत्यपाल आर्य।		वार्ड नं0 8 बारे।	जिला परिषद के वार्ड नं0 8 से भाण्डवा व आर्यनगर को हटाकर वार्ड 7 में शामिल करने बारे।

2. उपरोक्त प्राप्त आपत्तियों के प्रारम्भिक परीक्षण उपरान्त सामने आया कि कुल 4 आपत्तियां ही प्राप्त हुई हैं। आपत्ति नं0 4 व 5 बिल्कुल समान है। अतः मूल आवेदनों की प्रतियां खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, बाढ़ड़ा तथा तहसीलदार, बाढड़ा को भेजकर निर्देश दिये गये कि इस बारे इन आवेदनो बारे सुनवाई की तिथि 05.05.2021 तय की गई है। कोविड–19 महामारी के चलते आम हलचल पर पाबन्दी है। अतः जनसाधारण को सूचित करें कि इस कार्यालय की ई–मेल badhra.sdm@gmail.com or whatsup no. 9717920255 पर इन आवेदनों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को एतराज या सुझाव है तो दिनांक 05.05.2021 को प्रातः 10:00 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही इस बारे रपट/रोजनामचा में इसकी रपट दर्ज कर प्रति इस कार्यालय में उक्त समय से पहले पेश करें।

3. दिनांक 05.05.2021 तक ई–मेल तथा वाटसप के माध्यम से दिये गये ऐतराजो बारे भाण्डवा गांव के कुछ मतदाताओ ने सुझाव दिया कि भाण्डवा, आर्यनगर ग्राम पंचायत को जिला परिषद वार्ड नं0–7 में न रखकर वार्ड नं0–8 में ही रखा जाना उनके विकास के लिए उचित है। सुझाव देने वाले व्यक्तियो में ईश्वर, सोनू, रामकिशन, प्रमिला, सन्दीप, निरज कुमार,रविन्द्र कुमार, अंकित कुमार, राकेश कुमार, सतीस कुमार, जयभगवान, जयभगवान, अमित कुमार, सोनू, अनिल कुमार व राजकुमार शामिल है।

4.मैने जिला परिषद चरखी दादरी व पंचायत समिति बाढ़डा की वार्ड बन्दियों के प्रारम्भिक प्रकाशन पर आई कुल 5 आपतियो का विशलेषण व तुलनात्मक परिक्षण कर लिया है साथ ही इन आपतियो पर आये सुझावो को भी ध्यानपूर्वक सुन लिया है। मिसल पर उपलब्ध दस्तावेजों का हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 4(2) में दिये गये प्रावधानों अनुसार तथा गूगल मैप पर गांवो की आपसी दूरी का तुलनात्मक परीक्षण करने उपरान्त, जिसमें वर्णित है कि पंचायत समिति तथा जिला परिषद की वार्ड बन्दी करते समय ग्राम पंचायतो की सघनता को विशेष रूप से जहाँ तक सम्भव हो ध्यान में रखा जाना चाहिए, प्रत्येक आपति पर किये गये विचार विर्मश का विवरण निम्न है :-

<u>आपति न-1</u> जीतपुरा उमरवास को जिला परिषद वार्ड नं0-6 से वार्ड न0-7 में किया जाऐ, का परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि जीतपुरा, उमरवास को यदि वार्ड नं0-6 से 7 में किया गया तो वार्ड नं0-7 में आने वाले गांवो की सघनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। काकडोली सरदारा व काकडोली हटठी के आपतिकर्ताओ का मत यह भी है कि काकडोली सरदारा व काकडोली हटठी को वार्ड नं0-7 से हटाकर वार्ड नं0-6 में कर दिया जाऐ। यदि इनके दोनो आपतियो स्वीकार कर ली जाती है तो जीतपुरा, उमरवास गांव की सीमा जिला परिषद वार्ड नं0-7 के साथ ना लगकर एक अलग से टापू की तरह बचेगी क्योकि जीतपुरा, उमरवास व वार्ड नं0-7 के अन्य गांवो के मध्य वार्ड नं0-6 के काकड़ोली सरदारा व काकड़ोली हटठी मध्य पडेगें। अतः गांवो की सघनता पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावो को देखते हुए जनहित में आपति नं0-1 खारिज की जाती है।

<u>आपति न0-2</u>: गांव डुडीवाला किशनपूरा हमेशा से रामपूरा, डुडीवाला नन्दकरण व डुडीवाला किशनपूरा के साथ ही पंचायत समिति वार्ड न0-7 में रहा है, का परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि पंचायत समिति बाढडा की वार्ड बन्दी के प्रारम्भिक प्रकाशन में वार्ड न0-8 में रामपूरा, डुडीवाला नन्दकरण व डुडीवाला किशनपूरा तीनो गांवो शामिल है, तथा इनके अलावा कोई भी अन्य गांवो शामिल नहीं है। वार्ड नं0-8 में गांवो की सघनता बिल्कुल उचित पाई गई तथा इस बारे कोई आपति भी नहीं जताई गई है, ना ही मांगे जाने उपरान्त किसी ने कोई सुझाव कार्यालय में दिया है। अतः यह प्रतित होता है कि आपतिकर्ता ने अधूरी जानकारी के

अधार पर आपति दर्ज करवाई है, जिसमें पहले से उसके सुझाव अनुसार वार्ड बन्दी की गई है। अतः आपति स्वीकार की जाती है।

आपति न0–3: काकडोली सरदारा व काकडोली हटठी को जिला परिषद के वार्ड नं0–7 से वार्ड नं0–6 में शामिल किया जाऐं, का परिक्षण किया गया तथा पाया गया कि काकडोली सरदारा व काकडोली हटठी जिला परिषद वार्ड नं0–7 के उतरी पूर्वी कोने में आते है, जबकि वार्ड नं0–6 में यदि इनको शामिल कर लिया जाये तो ये दोनो गावों वार्ड न0–6 के मध्य में आयेगें। ऐसा करने से ना सिर्फ वार्ड न0–6 के गांवो की सघनता सुधरेगी बल्की वार्ड नं0–7 के गांवो की भी सघनता में सकारात्मक बदलाव आयेगा साथ ही गाँव भारीवास जो अभी अलग से एक टापू की तरह वार्ड नम्बर 6 के अन्य गाँवों से कटा है, भी काकडोली सरदारा व काकडोली हटटी के साथ निरन्तरता में वार्ड नम्बर 6 में रह जायेगा तथा उक्त विसगंति दूर हो जायेगी अतः ग्रामवासियो द्वारा दी गई आपति स्वीकार की जाती है।

आपति नं0–4 व 5 : ग्राम पंचायत भाण्डवा व आर्यनगर के कुछ मतदाताओ ने आपति दर्ज की है कि ग्राम पंचायत भाण्डवा व आर्यनगर को जिला परिषद के वार्ड नं0–8 से हटाकर वार्ड नं0–7 में शामिल किया जाऐं, का परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि भाण्डवा व आर्यनगर वार्ड नं0–8 के पश्चिमी छौर पर पडते है, तथा वार्ड नं0–6 के गांवो बाढड़ा, हंसावास खुर्द इत्यादि गांवो के भी पश्चिम दिशा में पड़ते है। यह भी पाया गया कि इन दोनो ग्राम पंचायतो के वार्ड नं0–8 में रहने से वार्ड नं0–8 के गांवो की सघनता सही नहीं है, तथा भाण्डवा व आर्यनगर अन्य गांवो से बिल्कुल दूर पश्चिम छौर पर स्थित है। जबकि यदि इसे वार्ड नं0–7 में शामिल कर लिया जाऐ तो ये गांव वार्ड नं0–7 के अन्य सभी गांवों के साथ राष्ट्रीय राज मार्ग नं0– 334 बी0 के पश्चिम दिशा में आ जाएगा जिससे वार्ड नं0–7 व वार्ड नं0 8 के गांवों की सघनता पर सकारात्मक बदलाव आयेगा। अतः जनहित में आपति नं0–4 व 5 स्वीकार की जाती है।

5. उपरोक्त तर्को के चलते मैं, शम्भू राठी एच0सी0एस0 उपमण्डल अधिकारी(ना0) बाढडा हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 4(7) में प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करता हूँ कि गांव काकडोली सरदारा व काकडोली हटठी वर्तमान पंचायत

समिति वार्ड नं0–6 को जिला परिषद के वार्ड नं0–7 से निकाल कर वार्ड नं0–6 में शामिल किया जाये, तथा ग्राम पंचायत भाण्डवा व आर्यनगर वर्तमान पंचायत समिति वार्ड नं0–15 को जिला परिषद वार्ड नं0–8 से निकाल कर वार्ड नं0–7 में शामिल किया जाये। उपरोक्त आदेशानुसार सन्शोधित नक्शा तैयार करवाकर साथ संलग्न है। आदेश दिनांक 05.05.2021 को सुनाया गया व कोविड महामारी के कारण जनसाधारण की सूचना के लिए जिला प्रशासन की वैबसाईट पर अपलोड कर दिया गया।

उपमण्डल अधिकारी(ना0)
बाढ़ड़ा।

इस आदेश में कुल 7 (सात) पृष्ठ है, सभी पृष्ठ मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है।

उपमण्डल अधिकारी(ना0)
बाढ़ड़ा।

आदेश क्रमांक 46./ पंचायत चुनाव/2021 दिनांक 05.05.2021

इस आदेश की एक–एक प्रति आपतिकर्ताओ को वाटसप के माध्यम से भेजकर सूचित किया जाता है कि इस आदेश के विरूध अपील हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 4(8) के अर्न्तगत अतिरिक्त उपायुक्त चरखी दादरी के कार्यालय में दिनांक 06.05.2021 से दिनांक 08.05.2021 तक की जा सकती है। इस अवधि के उपरान्त कोई अपील मान्य नहीं होगी।

उपमण्डल अधिकारी(ना0)
बाढ़ड़ा।

Block-Badhra

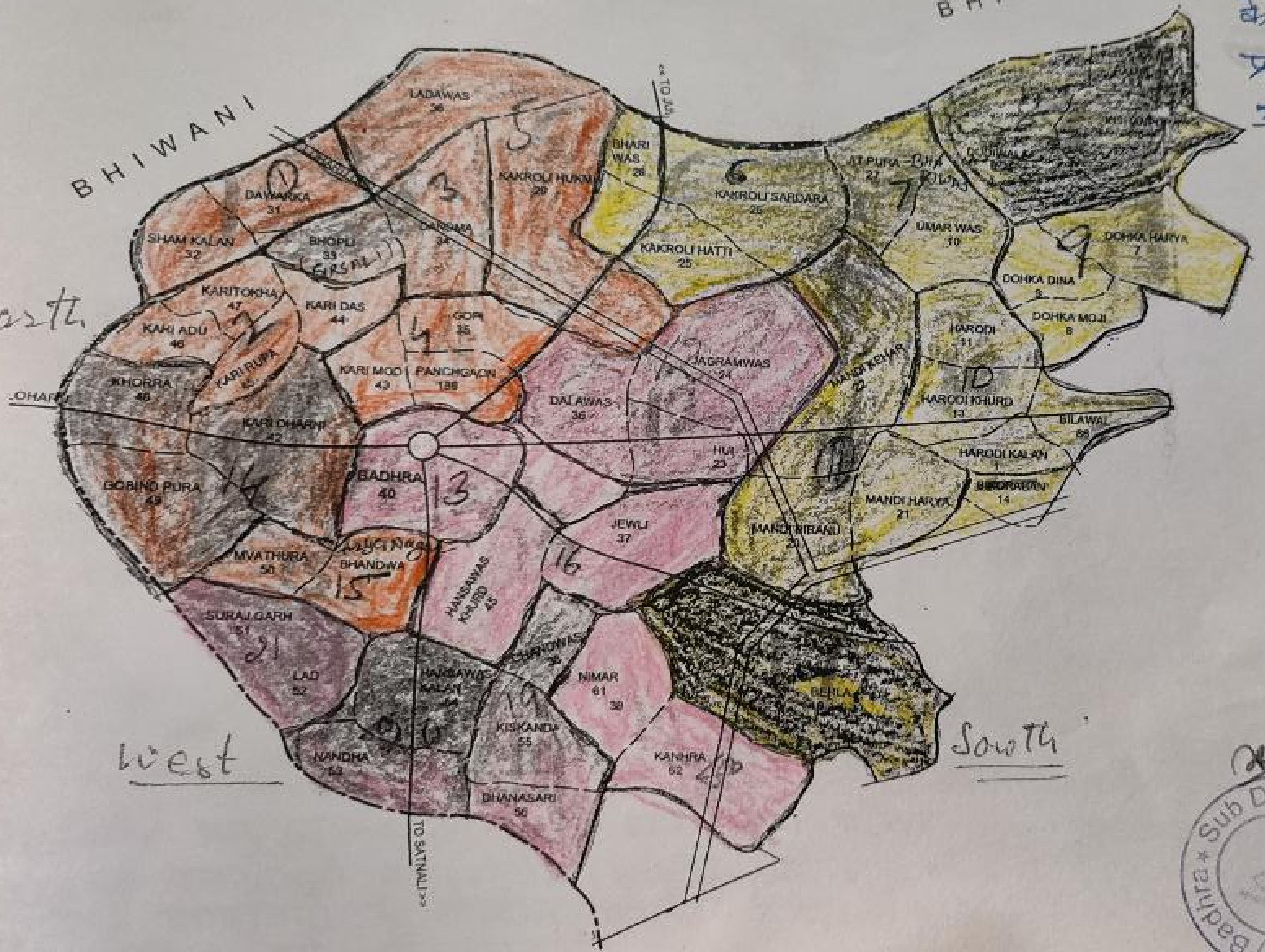

माननीय उपायुक्त चरखी दादरी द्वारा जिला परिषद चरखी दादरी की वार्डबंदी के प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त आपत्तियों के निपटान उपरांत तैयार संशोधित नक्शा।

05.05.21

Sub Divisional Officer (Civil) Badhra

Sub Divisional Officer (Civil) Badhra

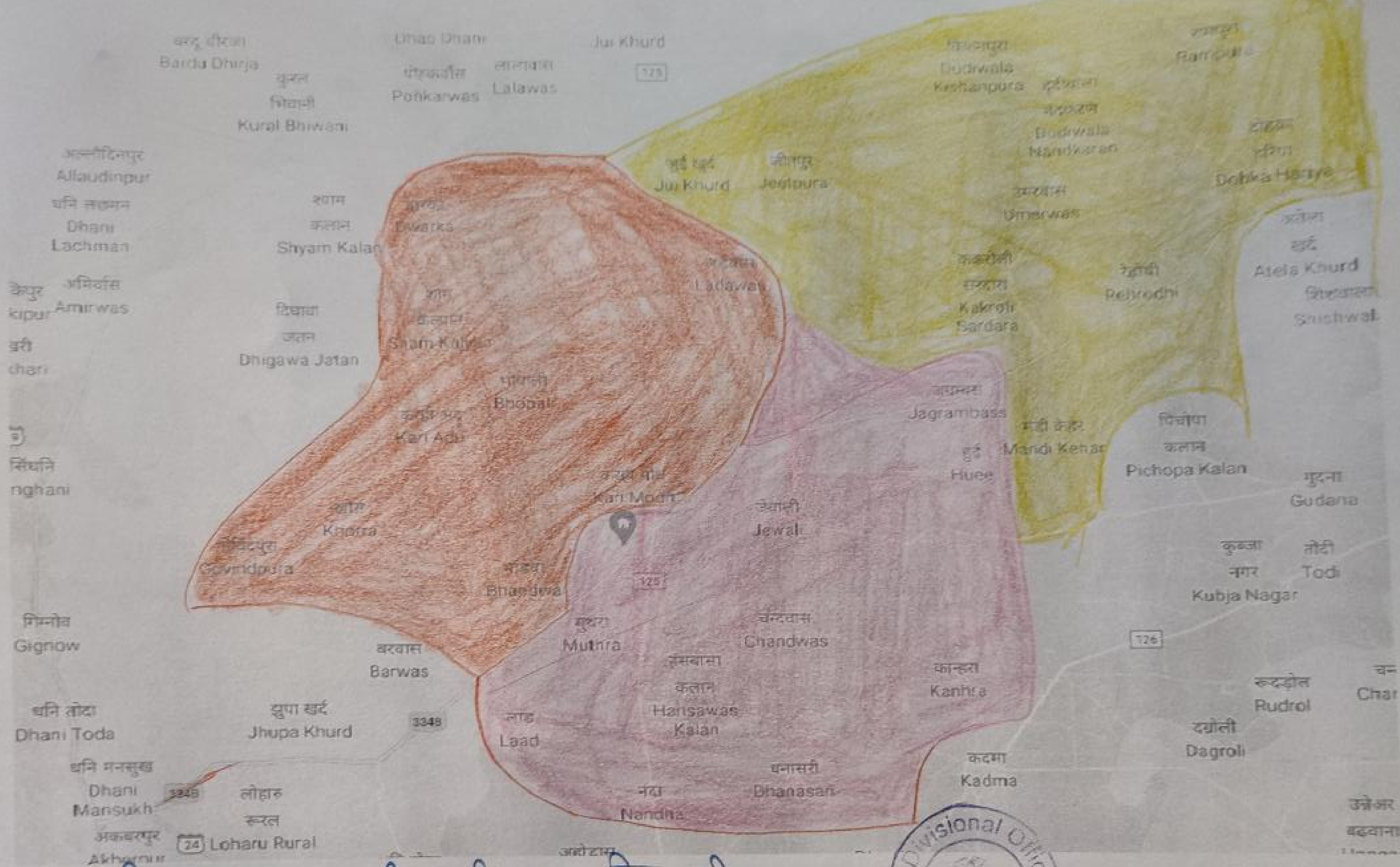

मानवीय उपायुक्त चरखी दादरी द्वारा जिला परिषद चरखी दादरी की वार्डबंदी के प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त आपत्तियों के निपटान उपरांत गूगल मैप पर संसोधित वार्डों की वास्तविक स्थिति।

Sub Divisional Officer (Civil) Badhra